

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  
आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 11 / 2019-20

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख |
|                               | <p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर</p> <p>बनाम</p> <p>आरती टोप्पो ..... विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें आरती टोप्पो, पिता- रावेल टोप्पो, ग्राम- तिगावल डाड़टोली, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि <b>46,028.00</b> रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है।</p> <p>उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक- 7098(ii) / गो० दिनांक- 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 50000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए अंचल अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०- 11 / 2019-20 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>-सह-<br/>नीलाम पत्र पदाधिकारी,<br/>चैनपुर (गुमला)।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>-सह-<br/>नीलाम पत्र पदाधिकारी,<br/>चैनपुर (गुमला)।</p> |   |